पत्रांक:- भवन/बजट-29-निबंधन विभाग-02/2018-19.....6547(भ)

बिहार सरकार

भवन निर्माण विभाग

सेवा में,

महालेखाकार (ले. एवं हक) बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक:- 18/7/26

विषय:- निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग की योजना के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 में कुल **₹ 3,42,866/- (तीन लाख बेयालीस हजार आठ सौ छियासठ रूपये)** मात्र के व्यय की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

महाशय,

कार्यपालक अभियंता, वैशाली भवन प्रमंडल, हाजीपुर के द्वारा PMIS के माध्यम से समर्पित ऑनलाईन अधियाचना पर संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता द्वारा की गयी अनुशंसा के आलोक में निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग की योजना के क्रियान्वयन हेतु निम्न विवरणीनुसार कुल **₹ 3,42,866/- (तीन लाख बेयालीस हजार आठ सौ छियासठ रूपये)** मात्र के व्यय की स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्रदान की जाती है:-

क्र. सं.	प्रमंडल का नाम	अधियाचना आई०डी० संख्या	योजना का नाम	स्वीकृत्यादेश संख्या/दिनांक	वित्तीय वर्ष 2026-27 में व्यय हेतु स्वीकृत राशि
1	वैशाली भवन प्रमंडल, हाजीपुर	32039	S/R Painting work to Sub-Registry office Internal & External Parts of Main Building in Mahua, Hajipur for the year 2025-26	5223/ 26.08.25	₹ 3,42,866/- (तीन लाख बेयालीस हजार आठ सौ छियासठ रूपये)

2. उक्त कार्य पर राशि व्यय-मांग संख्या-03- भवन निर्माण विभाग के अन्तर्गत मुख्यशीर्ष-4059- लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय - उपमुख्य शीर्ष-01- कार्यालय भवन-लघुशीर्ष-051-निर्माण-उपशीर्ष-0110-निबंधन विभाग के भवन विपत्र कोड-03-4059010510110 के विषय शीर्ष-53- मुख्य निर्माण कार्य-0110.53.01 मुख्य निर्माण कार्य अन्तर्गत उपबंधित राशि वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में किया जाएगा।
3. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कार्यपालक अभियंता, संबंधित भवन प्रमंडल होंगे।
4. इस राशि की निकासी संबंधित जिला कोषागार से की जायेगी।
5. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।
6. स्वीकृत राशि के विरूद्ध आवंटन की कार्रवाई सी.एफ.एम.एस. के माध्यम से की जा रही है।
7. प्रस्ताव में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

(राजेश कुमार सिंह) 18/7/26
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक:- 6547(भ) पटना, दिनांक:- 18/7/26

प्रतिलिपि:-सचिव (व्यय), वित्त विभाग, बिहार, पटना/संबंधित जिला पदाधिकारी/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित जिला कोषागार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव।